

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2024-भाद्र 1, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सेंधवा, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

सेंधवा, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक...११५९...दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका सेंधवा जिला बड़वानी की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर पालिका सेंधवा जिला बड़वानी

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/सर्वग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/सर्वग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोगोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहा.वर्ग-03 (नियमित)	तृतीय	13	8	1	0	0	1	0	1
2	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	37	7	2	0	0	1	1	2
3	भृत्य (संविदा)	चतुर्थ	16	16	1	1	0	0	0	1
4	सफाई संरक्षक संविदा	चतुर्थ	74	74	4	1	1	1	1	4
	योग		140	105	8	2	1	3	2	8

मधु चौधरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, गैरतगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

गैरतगंज, दिनांक 12 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./न.परि./ 2024/524 : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पारिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है -

अनुसूची-एक

नगर परिषद गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)

अनुसूची-दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)	रिमांक
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	12		1	0	0	1	0	1	-
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	24	36	1	1	0	0	0	1	-
योग			36	36	2	1	0	1	0	2	-

सुरेखा जाटव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, सांची, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

सांची, दिनांक 12 अगस्त 2024

क्रमांक/स्या./2024/073 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद् सांची जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद् सांची जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित / संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग एवम्, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	6	17	0	0	0	0	0	0	
2		सफाई संरक्षक (संविदा)	11		1	0	1	0	0	1	
योग			17		1	0	1	0	0	1	

अशोक वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

उदयपुरा, दिनांक 13 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/805.... दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद उदयपुरा जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद उदयपुरा जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1. 5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1. 5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुदिकलिंगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	12	36	1	1	0	0	0	1	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	24		1	0	0	0	1	1	-
योग			36	36	2	1	0	0	1	2	-

जगदीश शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, कुरावर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

कुरावर, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/2433 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद कुरावर जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद कुरावर जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1. 5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1. 5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	12		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	24	36	1	1	0	0	0	1	-
योग			36	36	1	1	0	0	0	1	-

कुवर विश्वनार्थ सिंह ठाकुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.